न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड R.A.S

प्रा०पत्र सं 356/2017

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र स्व ख्यालीराम उम्र 65 साल
2. मुकेश शर्मा पुत्र स्व. प्यारेलाल उम्र 42 साल
3. मिथलेस शर्मा पुत्र स्व. प्यारेलाल उम्र 37 साल
4. नवल शर्मा पुत्र स्व. प्यारेलाल उम्र 32 साल
5. श्रीमति तारा शर्मा पत्नी स्व प्यारेलाल उम्र 62 साल
6. बजरंग शर्मा पुत्र स्व. मातादीन उम्र 46 साल
7. राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. मातादीन शर्मा उम्र 43 साल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण कांचरेडा तहसील नीमकाथाना जिला - सीकर

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र ख्यालीराम उम्र 67 साल
2. किशोरीलाल पुत्र ख्यालीराम उम्र 65 साल
3. मोतीलाल पुत्र ख्यालीराम उम्र 62 साल

समस्त जाति माली निवासीगण धान्धेला तहसील नीमकाथाना
4. भूमिधारी जरिए तहसीलदार नीमकाथाना

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राज० अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

उपस्थित! श्री राजेन्द्र सिंह तंवर एड० - प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 27/10/17

संक्षेप में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि ख०न० 474 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व भूमि ख०न० 475 रकबा एक बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा राजस्व ग्राम धान्धेला तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त भूमियो कि खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)

राजस्व अभिलेख मे प्रथम सैटलमेन्ट के दौरान ख्यालीराम मूलचन्द पुत्रगण मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांवरेडा तहसील नीमकाथाना के नाम दर्ज हुयी एवं उक्त भूमियो की जमाबंदी सं 2027 तक राजस्व अभिलेख मे दर्ज रही। उक्त खातेदार ख्यालीराम व मूलचन्द अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे। उक्त भूमियो की तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा लापरवाही पूर्वक सं 2028 से 2031 की जमाबंदी तैयार करते समय ख्यालीराम व मूलचन्द खातेदार के स्थान पर ख्यालीराम पुत्र तुल्ला जाति माली ढान्धोला दर्ज कर दिया। जबकि तत्कालीन पटवारी को उक्त अशुद्धी की जाने का अधिकार प्राप्त नही था। उक्त भूमियो के 1/2 हिस्से के खातेदार ख्यालीराम का देहान्त हो गया जिसके वारिसान प्रतिवादीगण सं 1 ता 5 है व पूर्व खातेदार मूलचन्द अविवाहित फौत हो गया। जिसके 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं 6 व 7 काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त भूमियो की खातेदारी सं 2028 के पश्चात से गलत रूप से ख्याली पुत्र तुल्ला माली के नाम से दर्ज रही। उक्त अशुद्धी का नाजायज फायदा उठाकर ख्याली पुत्र तुल्ला के देहान्त होने के पश्चात विरासत के आधार पर अप्रार्थीगण सं 1 ता 3 के नाम व मनोहरी के नाम से दर्ज हुयी। मनोहरी देवी का देहान्त हो गया जिसके वारिसान अप्रार्थीगण सं 1 ता 3 है। उक्त भूमियो के नवीन सैटलमेन्ट के दौरान नवीन ख०नं० 664 व 665 राजस्व अभिलेख मे दर्ज हुए। उक्त भूमियो से अप्रार्थीगण सं 1 ता 3 का व अन्य का कोई सम्बध व सरोकार नही रहा ना है। उक्त भूमियो की बाबत मौके पर किसी प्रकार से प्रार्थीगण के मध्य व पडोसी काश्तकार के मध्य कभी विवाद उत्पन्न नही हुआ। जिससे प्रार्थीगण को राजस्व अभिलेख की जानकारी करने की कोई आवश्यकता नही हुयी। प्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार की नीतियो की पालना में उक्त भूमियो के विकास हेतु व ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपी तत्कालीन पटवारी हल्का से प्राप्त की गई तब अशुद्धी की प्रार्थीगण को जानकारी हुयी। तब प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 4 के यहा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त अशुद्धी की जगह शुद्धी किये जाने की इच्छा चाही गयी। तब अप्रार्थी सं 4 द्वारा सक्षम न्यायालय में विधिक प्रक्रिया अपना कर शुद्धी आदेश प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तब उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। भूमियो कि बाबत सं 2024 से 2027 तक जमाबंदी मे दर्ज ख्यालीराम मूलचन्द के नाम के आधार पर जमाबंदी स 2028 मे उक्त खातेदारान

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

के स्थान पर ख्याली पुत्र बुल्ला दर्ज कर जो अशुद्धी की गयी है उसे शुद्धी कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमियो की खातेदारी सं 2027 के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु अप्रार्थी सं 4 को आदेश फरमाया जावे व जमाबंदी सं 2028 मे की गयी - अशुद्धी को शुद्धी फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं 4 बावजूद तामिल अनु० रहा। अप्रार्थी सं 1 ता 3 ने न्यायालय मे जरिये वकील उपस्थित होकर इकबालिया जवाब पेश किया एवं प्रार्थीगण ने साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये जाकर बहस वकील प्रार्थीगण एवं पक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थीगण को ध्यान - पूर्वक सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम धांधेला की जमाबंदी सं 2024 से 2027 का अवलोकन करने पर पाया गया कि भूमि ख०न० 474 व 475 की खातेदारी ख्याली मूलचन्द पि० मोहनलाल ब्राह्मण सा० कांचेरडा के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी सं 2028 से 2031 में उक्त भूमि कि खातेदारी ख्याली पुत्र बुलला जाति माली सा० देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रस्तुत जमाबंदी सं 2070 से 2073 ग्राम धांधेला के अवलोकन से पाया गया की भूमि ख०न० 651 664,665 की खातेदारी प्रह्लाद किशोरीलाल मोतीलाल पुत्र ख्याली मनोहरी स्त्री ख्याली जाति माली सा०देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। नवीन सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमियो के नवीन ख० न० 664 व 665 कायम किये गये। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख० न० 474 के नवीन ख० न० 664 व 475 के नवीन ख०न० 665 कायम किये गये। अप्रार्थी सं 1 ता 3 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के सम्बन्ध में इकबालिया जवाब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया। जमाबंदी सं 2024 से 2027 से यह बात तो स्पष्ट है कि भूमि पूर्व में ख्याली मूलचन्द पि० मोहनलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज थी।

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बंध में कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध है जिससे यह जाहिर हो सके कि उक्त भूमि पूर्व से अप्रार्थीगण या इनके बुजुर्गों के नाम रही हो एवं इनका कब्जा रहा हो। जबकि प्रार्थना पत्र के सम्बंध में इकबालिया जवाब पेश कर अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति जताई है। इन तथ्यों से यह साबित होता है कि जमाबंदी सं 2023 से 2028 की तैयार करते समय गलत प्रविष्टि हुई है एवं अप्रार्थीगण का नाम सहवत से गलत दर्ज हुआ है। जो एक लीपीगत त्रुटि होना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के सम्बंध में बाबूलाल व सुरेश कुमार का शपथ पत्र पेश किया गया है। शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों से प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है। उक्त भूमि कि खातेदारी जमाबंदी सं 2024 से 2027 के अनुसार पुनः दर्ज करने बाबत इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण ने सहमति जताई है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरुस्ती का होना पाया जाता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि नवीन भूमि रक० नं० 664 व 665 की खातेदारी पुराने भूमि रक० नं० 474 व 475 जमाबंदी सं 2024 से 2027 राजस्व ग्राम धांधेला तहसील नीमकाथाना के अनुसार खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)